न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 30/2021
निर्णय दिनांक :– 23.09.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. प्रेमचन्द पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. भंवरलाल पुत्र कालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र आंचु
2. मनमोज देवी पत्नी सत्यनारायण
3. ग्यारसा दत्तक पुत्र औंकार
4. सणगारी देवी पत्नी लादूराम
5. रामलाल पुत्र श्रवण
6. रंगलाल पुत्र श्रवण (फौत)

6/1. मूली देवी पत्नी स्व0 रंगलाल
6/2. मदनलाल देवी पुत्र स्व0 रंगलाल
7. गीता देवी पत्नी छोटू
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
8. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत।

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री पप्पूलाल सैनी वकील प्रार्थी
श्री गजेन्द्र सिंह नरूका वकील अप्रार्थी सं0 01, 02, 04,
वाद घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 23.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 266 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3283 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में पड़ोसी खातेदार है लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा पर अप्रार्थीगण आये दिन मेर–कोर की सीमाओं को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते रहते है इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3283 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में असंवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनन न्यायोचित है, ताकि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सके। उक्त आराजीयात बाबत प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने बाबत

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(2)

प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, फागी के समक्ष पेश किया गया, तहसीलदार फागी के आदेश कमांक 2539 दिनांक 19.06.2012 की पालना में उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 23.06.2012 की प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समक्ष प्रार्थीगण एवं गांव के लोग व पड़ोसी खातेदारों ने सोच–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबुझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुये उक्त सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2012 की आपत्ति अप्रार्थीगण ने आज–तक नहीं की है बल्कि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.2012 के मुताबिक पत्थरगढी करवाई जाकर प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है। अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी नहीं करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेगे जिससे आपस में लड़ाई–झगडा होगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त पत्थरगढ़ी में नियमानुसार होने वाला खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तत्पर है। उक्त विवादित आराजी एवं पक्षकारान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह नरूका उपस्थित आये। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 को जबाब हेतू काफी अवसर दिये जाने के बाबजूद भी जबाब प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 का जबाब बन्द किया जाता है।

अप्रार्थी सं. 03, 05, 07 बाद तामिल उपस्थित नही आये। अप्रार्थी सं. 03, 05, 07 के विरूद्ध दिनांक 23.08.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 6 के फौत होने पर इनके विधिक वारिसान 6/1 व 6/2 बाद तामिल उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 6/1 व 6/2 के विरूद्ध दिनांक 23.09.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पुनः सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम खाता सं0 389 के ख0न0 3283 में प्रार्थीगण

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

(3)

रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि ख0न0 3283 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 23.06.2012 को सीमाज्ञान हो चूका है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे पक्षकारान की उपस्थित मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 3283 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/9/24.

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू